भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3844

12.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

महाराष्ट्र में उत्पादन-संबद्ध-प्रोत्साहन योजना के लाभ

3844. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क): क्या सरकार ने उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के भिवंडी में किसी इकाई को लाभ पहुंचाया है;

(ख): उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए कंपनियों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग): उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने रोजगार सृजित किए गए हैं और महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों में उक्त योजना का क्या प्रभाव पड़ा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ): यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो) और राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए पीएलआई स्कीम का संचालन करता है। पीएलआई स्कीमें भिवंडी, महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में लागू हैं। उपर्युक्त स्कीमों के तहत भिवंडी, महाराष्ट्र में किसी भी इकाई को कोई लाभ नहीं दिया गया है।

(ख): पीएलआई एसीसी स्कीम के तहत लाभार्थियों का चयन वैश्विक निविदा के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करके किया गया था। इसके बाद, गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) तंत्र के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन किया गया और बोलीदाताओं को उनके संयुक्त तकनीकी और वित्तीय अंकों के आधार पर रैंकिंग दी गई।

पीएलआई-ऑटो स्कीम के लिए मूल पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं;

i. ऑटोमोटिव वाहन और घटक विनिर्माण व्यवसाय में भारत या विश्व स्तर पर मौजूदा उपस्थिति वाली कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए निम्नानुसार है:

पात्रता मानदंड	**ऑटो मूल उपकरण विनिर्माता**	**ऑटो-घटक**
वैश्विक समूह राजस्व (ऑटोमोटिव और/या ऑटो घटक विनिर्माण से)	न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए।	न्यूनतम 500 करोड़ रुपए।
निवेश	कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) का 3,000 करोड़ रुपए की निर्धारित परिसंपत्तियों (सकल ब्लॉक) में वैश्विक निवेश।	कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) का 150 करोड़ की निर्धारित परिसंपत्तियों (सकल ब्लॉक) में वैश्विक निवेश।

उपर्युक्त पात्रता मानदंड 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर पूरा किया जाना है।

ii. नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए:

पात्रता मानदंड	**नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी(कंपनियां)**
वैश्विक निवल मूल्य	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर 1000 करोड़ रुपए।
पाँच वर्ष की अवधि में भारत में प्रतिबद्ध निवेश	23.09.2021 को अधिसूचित स्कीम दिशानिर्देशों के पैरा-4.1(ग) में उल्लिखित न्यूनतम नई घरेलू निवेश शर्तों के अनुसार।

(ग) एवं (घ): 31.03.2025 तक, महाराष्ट्र राज्य में उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत 17,533 रोजगार सृजित किए गए हैं।
